

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठारीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०ए०आर० )

वाद सं० : 748 सन 2020

अनवान :-

1. सीताराम पुत्र काशीराम जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्योचन्द पुत्र सुरजाराम जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
2. काशीराम पुत्र श्योचन्द जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
3. अमीत कुमार पुत्र काशीराम जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
4. विनोद कुमार पुत्र श्योचन्द जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
5. युवी खाती पुत्र विनोद कुमार जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
6. दयाराम पुत्र विनोद कुमार जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
7. मगता पुत्री विनोद कुमार जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
8. रविना पुत्री विनोद कुमार जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
9. करीना पुत्री विनोद कुमार जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
10. सरोज पुत्री श्योचन्द जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
11. पूनम पुत्री श्योचन्द जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 01/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 343/346 की कुल 7.2460 हैक व खाता संख्या 345/290 की कुल 5.0590 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्तीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के दादा है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

सुरजाराम के वारिसान उसका पुत्र श्योचन्द एवं श्योचन्द के दो पुत्र दो पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 2 ,4 ,10 ,11 है एवं श्योचन्द के पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 के वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 3 एवं विनोद कुमार के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 है इसप्रकार सुरजाराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्रीया है एवं एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 वहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता सुरजाराम पुत्र बरतीराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल गिराल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 पेशकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल गिराल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तगकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की वहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी वहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही गौजा थिराना के खाता संख्या 343/346 की कुल 7.2460 है व खाता संख्या 345/290 की कुल 5.0590 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बरतीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बरतीराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के दादा है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बरतीराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

सुरजाराम के वारिसान उसका पुत्र श्योचन्द एवं श्योचन्द के दो पुत्र दो पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 2 ,4 ,10 ,11 है एवं श्योचन्द के पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 के वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 3 एवं विनोद कुमार के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 है इसप्रकार सुरजाराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्रीया है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

  
उपस्यण्ड अधिकारी  
बोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 343/346 की कुल 7.2460हैक् व खाता संख्या 345/290 की कुल 5.0590हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जगावन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि सुरजाराग पुत्र बस्तीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा सुरजाराग पुत्र बस्तीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा सुरजाराग पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरप्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 343/346 की कुल 7.2460हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 2,3 बहिव 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिव 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 345/290 की कुल 5.0590हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि वैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल भिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्दा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकाारी (र) )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सीताराम पुत्र काशीराम जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

वनाग

1. श्योचन्द पुत्र सुरजाराम जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
2. काशीराम पुत्र श्योचन्द जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
3. अमीत कुमार पुत्र काशीराम जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
4. विनोद कुमार पुत्र श्योचन्द जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
5. युवी खाती पुत्र विनोद कुमार जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
6. दयाराम पुत्र विनोद कुमार जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
7. ममता पुत्री विनोद कुमार जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
8. रविना पुत्री विनोद कुमार जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
9. करीना पुत्री विनोद कुमार जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
10. सरोज पुत्री श्योचन्द जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
11. पूनम पुत्री श्योचन्द जाति जांगिड निवासी थिराना तहसील नोहर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजरव नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 748 सन 2020 निर्णय दिनांक- 01/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजरव ) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 343/346 की कुल 7.2460 हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिव 1/2 हिससा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिव 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व खाता संख्या 345/290 की कुल 5.0590 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजरव रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ब्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर ( हनुमानगढ )